प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

रिड याचिका सेवा सं. 970/2024

1 – बाम देव नाग पिता स्वर्गीय श्री लक्ष्मी चंद नाग, 55 वर्ष पोस्ट डिप्टी रेंजर, निवासी बाणसागर डिपो, बीजापुर, जिलाःबीजापुर, छत्तीसगढ़

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य प्रधान सचिव के द्वारा, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नई रायपुर, जिला :रायपुर, छत्तीसगढ़

2–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासनिक) वन विभाग कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नई रायपुर, जिलाःरायपुर,छत्तीसगढ़

3–अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासनिक गैर–राजपत्र) प्रधान मुख्य विभाग का वन विभाग कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक का कार्यालय, अरण्य भवन, सेक्टर–19, अटल नगर, नई रायपुर, जिलाःरायपुर,छत्तीसगढ

4–जगदलपुर सर्कल, जगदलपुर, जिला के मुख्य वन संरक्षकःबस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़

5 – प्रभागीय वन अधिकारी वन प्रभाग बीजापुर, जिलाःबीजापुर, छत्तीसगढ़ 6–उप–मंडल वन अधिकारी उप–वन प्रभाग भोपालपट्टनम, वन प्रभाग बीजापुर, जिलाःबीजापुर, छत्तीसगढ़

..... उत्तरवादीगण

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ता हेतु : ---श्री आलोक कुमार देवांगन, अधिवक्ता

राज्य/उत्तरवादीगण हेतु : ---श्री सौमित्र केशरवानी, पैनल अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद,न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

31/01/2025

1. याचिकाकर्ता दिनांक 15.12.2023 के आदेश की वैधता तथा औचित्यता को चुनौती देना चाहता है जिसके द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया है और अनुशासनात्मक प्राधिकारी, अर्थात मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर, वृत्त जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को आरोपों का दोषी पाया है और संचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने का दंड लगाया है, जिसका अर्थ है कि याचिकाकर्ता द्वारा अर्जित दो वेतन वृद्धि सदैव के लिए एक प्रमुख दंड के रूप में भोग चुका है तथा वह उच्च वेतनमान प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सका, जो उसे मिल सकता था यदि आक्षेपित दंड आदेश पारित नहीं किया गया होता। दंड आदेश का प्रभाव यह होगा कि भविष्य में याचिकाकर्ता द्वारा अर्जित दो वर्ष की वेतन वृद्धि उसके समय वेतनमान में प्रमुख दंड के रूप में नहीं गिनी जाएगी।याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित अनुतोष के साथ यह याचिका दायर की है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

" 10.1 यह माननीय न्यायालय कृपया प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा जारी किए गए आक्षेपित आदेश क्रमांक/770 नया रायपुर, दिनांक 15/12/2023 को रद्द/ अपास्त करने की कृपा करे, जो कि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासनिक अराजपत्र) द्वारा जारी आदेश क्रमांक/602 नया रायपुर, दिनांक 09/10/2023 और मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर, जिला बस्तर, छ.ग. द्वारा जारी आदेश क्रमांक/स्था/284, जगदलपुर दिनांक 26/12/2022 से उत्पन्न हुआ है।

10.2 यह कि, माननीय न्यायालय कृपया याचिकाकर्ता के दावे के संबंध में उत्तरवादीगण के कार्यालय से डी.ई. के संपूर्ण अभिलेख को इस माननीय उच्च न्यायालय के अवलोकनार्थ मंगवाने की कृपा करे।

10.3 यह कि, माननीय न्यायालय कृपया सभी अभिकरण प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने की कृपा करे तथा यदि आवश्यक हो तो बाहरी अभिकरण को इस संबंध में जांच करने तथा अभिकरण प्राधिकारियों के विरुद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दे, यदि पाया जाता है कि प्राधिकारियों ने जानबूझकर याचिकाकर्ता को परेशान करने के लिए आक्षेपित आदेश पारित किया है।

10.4 यह माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादी को निर्देश दे कि वे याचिका की लागत तथा याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए अन्य व्ययों को वहन करें तथा याचिकाकर्ता को हुई अनावश्यक पीड़ा के लिए क्षतिपूर्ति देने का निर्देश देवे।

10.5 यह कि, यह माननीय न्यायालय कृपया कोई अन्य आदेश पारित करने की कृपा करे, जिसके लिए याचिकाकर्ता हकदार है तथा माननीय न्यायालय इसे याचिकाकर्ता के पक्ष में उचित समझे।"

2. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि वह वन विभाग में डिप्टी रेंजर के पद पर कार्यरत है। वर्ष 2019 में वह भोपालपटनम में वन परिक्षेत्र अधिकारी (उत्पादन) के पद पर पदस्थ था। उसके कार्यकाल में याचिकाकर्ता के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में वर्ष 2021–22 के लिए बांस की कटाई की गई थी। कुल 6 बांस के कोपरों में से लगभग 5 बांस के कोपरों की कटाई छत्तीसगढ़ वन नियमावली के अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए की गई थी।उच्च अधिकारियों ने बांस की कटाई के कार्य का निरीक्षण किया और उनके प्रमाणीकरण और सत्यापन के बाद याचिकाकर्ता को मजदूरों के भुगतान के लिए 43,81,168 रुपये की राशि दी गई थी। याचिकाकर्ता ने फरवरी–मार्च 2021 के महीने में कुल 43,81,168 रुपये का भुगतान किया है। मजदूरों या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी भी तरफ से कोई परिवाद नहीं किया गया था क्योंकि संबंधित मजदूर जो काम में लगे थे, उन्हें उनके काम की पूरी संतुष्टि के साथ राशि प्राप्त हुई है।इसके बाद याचिकाकर्ता को एक आरोप–पत्र जारी किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कुछ मौखिक शिकायतें की गई हैं कि उसने मजदूरों को 9,92,386 रुपये का भुगतान नहीं किया है। 20.9.2021 को आरोप–पत्र प्राप्त होने पर याचिकाकर्ता ने अपने विरुद्ध प्रारम्भ किया गया कि विभागीय जांच के संबंध में सुसंगत दस्तावेज प्राप्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया है। याचिकाकर्ता ने अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे दस्तावेजों की सूची, साक्षीयो के साक्ष्य और वाउचर की प्रति दें, जिसके आधार पर उसके विरुद्ध आरोप लगाए गए थे ताकि उपयुक्त जवाब दाखिल किया जा सके।हालांकि, प्राधिकारियों ने उन्हें उनके द्वारा मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए और अंततः याचिकाकर्ता ने 25.10.2021 को अपना जवाब दाखिल किया। हालांकि, उत्तरवादी प्राधिकारी याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थे और इसलिए, आरोपित आदेश पारित किया गया है।हालांकि याचिकाकर्ता को दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, लेकिन याचिकाकर्ता ने 25.10.2021 को अपना जवाब दाखिल किया है जिसमें याचिकाकर्ता ने स्पष्ट शब्दों में अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों का खंडन किया है।दिनांक 29.11.2021 और 7.12.2021 के आवेदन के माध्यम से याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए आपत्ति उठाई कि प्रकरण में जांच अधिकारी मामले का जांच अधिकारी होने के लिए सक्षम और पात्र नहीं है क्योंकि जांच अधिकारी ने स्वयं याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिशें की हैं और उन्हें जांच अधिकारी बनाना अवांछनीय होगा, हालांकि, संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है और उपरोक्त महत्वपूर्ण पहलू पर विचार किए बिना, याचिकाकर्ता पर दंड पारित किया गया है, जिसे इस आदेश के प्रारम्भिक कंडिका में कहा गया है।याचिकाकर्ता का आगे का प्रकरण यह है कि उसे सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया और सजा का आदेश जो कि आक्षेपित आदेश में दिया जाना था, बहुत ही अनौपचारिक एवं सरसरी तरीके से पारित किया गया है। अतः, याचिकाकर्ता ने दंड के आदेश को रद्द करने के लिए यह याचिका पेश की गयी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. दूसरी ओर,उत्तरवादी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए प्रत्येक दस्तावेज उसे उपलब्ध करा दिए गए हैं। याचिकाकर्ता को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। जांच अधिकारी की नियुक्ति विधि के अनुसार की गई है; याचिकाकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है, याचिका में योग्यता है और इसे समय रहते खारिज किये जाने योग्य है।

4. मैंने संबंधित पक्षों को सुना है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।

5. राज्य/उत्तरवादी ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों को नकारते हुए तर्क दिया है कि यद्यपि याचिकाकर्ता द्वारा दस्तावेज मांगे गए थे, तथापि, चूंकि दस्तावेज याचिकाकर्ता को पहले ही सौंप दिए गए थे, इसलिए आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दंड का आदेश पारित किया है, जिसका वर्णन इस आदेश के पिछले कंडिका में किया गया है। अपील में याचिकाकर्ता ने आग्रह किया है कि इस प्रकरण के जांच अधिकारी के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण उसके विरुद्ध विभागीय जांच प्रारम्भ की गई है, क्योंकि वह वह व्यक्ति था जिसने विभागीय जांच के लिए सिफारिश की थी।अपीलीय प्राधिकारी ने सेवा न्यायशास्त्र में निहित प्रावधानों की अनदेखी की है। याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि जिस व्यक्ति ने प्रारंभिक जांच की है और विभागीय जांच शुरू करने की सिफारिश की है, उसे जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस मामले में किसी को भी अपने मामले का न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता है। याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया दूसरा तर्क यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा बार–बार मांग किए जाने के बाद भी संबंधित दस्तावेज याचिकाकर्ता को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, इस प्रकार याचिकाकर्ता का पूरा मामला पूर्वाग्रह से ग्रसित और पूर्व–निर्धारित है और उत्तरवादी अधिकारी याचिकाकर्ता को किसी भी तरह से दंडित करने पर आमादा हैं।याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सम्पूर्ण विभागीय जांच केवल इस आधार पर दोषपूर्ण है कि बार–बार अनुरोध के बाद भी जांच अधिकारी को नहीं बदला गया है, तथा यह वही अधिकारी है जिसने विभागीय जांच शुरू करने की सिफारिश की है, इसलिए वह सक्षम नहीं है। उपरोक्त कारणों से, जांच अधिकारी याचिकाकर्ता के विरुद्ध पूर्वाग्रह से ग्रसित था। याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए दस्तावेजों में तथाकथित पिछली जांच शामिल है जो विधि के अनुसार नहीं है तथा इस आधार पर दोषपूर्ण है कि दस्तावेज याचिकाकर्ता को उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे उसके प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ।याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता पर बिना किसी कारण के घोर दंड दिया गया है, जो विधि के अनुसार मान्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इस मामले पर विचार करने का प्रश्न याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क के दोहरे आधार पर है। पहला तर्क यह है कि विभागीय जांच एक अधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर प्रारम्भ की गई है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा बार–बार की गई आपत्तियों के बावजूद इस मामले में जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और इस तरह इसने याचिकाकर्ता के प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया है।याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क का दूसरा हिस्सा यह है कि याचिकाकर्ता को अपने तर्क के समर्थन में बचाव पक्ष के साक्षीयो को पेश करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है, जो कि सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के

नियम 14 के उप–नियम 17 के अनुसार अनिवार्य है। उपरोक्त दो महत्वपूर्ण तर्कों के अलावा, याचिकाकर्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि पूरी विभागीय जांच अधिकारियों के पूर्वाग्रह और बदले की भावना का परिणाम है, जो सत्यता और साक्ष्यो से कोसों दूर है। उत्तरवादी अधिकारी याचिकाकर्ता को दंडित करने के लिए पहले से ही कृतसंकल्प हैं। नियमों के अनुसार जांच न किए जाने के कारण भी यह दोषपूर्ण है।याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय जांच की पूरी प्रारम्भिक पूर्वाग्रह, मनमानी और दुर्भावनापूर्ण आशय का परिणाम है, जिसका उद्देश्य याचिकाकर्ता को पीड़ित करना, उसका सेवाकाल खराब करना तथा उसे मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान करना है।याचिकाकर्ता के विरुद्ध फर्जी और हेरफेर किए गए आरोपों पर जांच करने का निर्णय मनमाना है।

7. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार करते हुए मामले पर गहन विचार किया है।

8. **ए.के. क्राइपक एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, 1969 (2) एस.सी.सी. 262** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने इस सिद्धांत के पहलू पर विचार किया है कि कोई व्यक्ति अपने मामले का न्यायाधीश नहीं हो सकता है और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है तथा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उक्त सिद्धांतों को उनकी सच्ची भावना में लागू किया जाना चाहिए।पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"15. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नकीशबंड को चयन बोर्ड के सदस्यों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया। यह सत्य है कि आमतौर पर किसी राज्य में मुख्य वन संरक्षक को चयन बोर्ड में सबसे उपयुक्त व्यक्ति माना जाना चाहिए। उनसे यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे अपने अधिकारियों उनकी कमजोरियों के साथ–साथ उनकी ताकत को अच्छी तरह से जानते है। अखिल भारतीय सेवा में चयन के लिए उनकी उपयुक्तता के संबंध में उनकी राय को बहुत महत्व दिया जाना चाहिए।लेकिन फिर परिस्थितियों के अनुसार नकीशबंड को चयन बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल करना अनुचित था। वह चयन के लिए विचार किए जाने वाले व्यक्तियों में से एक था। किसी व्यक्ति को उसके अपने प्रकरण में न्यायाधीश बनाना न्याय के सभी सिद्धांतों के विरुद्ध है। यह सत्य है कि जब उनके नाम पर विचार किया गया तो उन्होंने समिति के विचार–विमर्श में भाग नहीं लिया था।लेकिन फिर यह तथ्य कि वह चयन बोर्ड के सदस्य थे, चयन बोर्ड के निर्णय पर अपना प्रभाव अवश्य ही डालता होगा। इसके अलावा यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि जब उनके प्रतिद्वंद्वियों, विशेषकर बसु के दावों पर विचार किया गया, तो उन्होंने चयन बोर्ड के विचार–विमर्श में भाग लिया।ये वरीयता क्रम में चयनित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में भी वह पक्ष थे।चयन बोर्ड के विचार–विमर्श में उनकी भागीदारी के हर चरण में उनके हित और कर्तव्य के मध्य मदभेद था। ऐसी परिस्थितियों में यह मानना मुश्किल है कि वे निष्पक्ष हो सकते थे। असली प्रश्न यह नहीं है कि क्या वे पक्षपाती थे। किसी व्यक्ति की मनःस्थिति को साबित करना मुश्किल है। अतः, हमें यह देखना होगा कि क्या यह मानने के लिए उचित आधार है कि वे पक्षपाती थे।हम विद्वान अटॉर्नी जनरल से सहमत हैं कि पक्षपात का मात्र संदेह पर्याप्त नहीं है।पक्षपात की उचित संभावना अवश्य होनी चाहिए। पक्षपात के प्रश्न पर निर्णय लेने में हमें मानवीय संभावनाओं और मानवीय आचरण के सामान्य क्रम को ध्यान में रखना

होगा। नकीशबंड के हित में यह था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वियों को बाहर रखे ताकि आगे की चुनौती से अपनी स्थिति सुरक्षित रख सके। स्वाभाविक रूप से वह चयनित उम्मीदवारों की सूची तैयार करते समय अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने में भी रुचि रखता था।

20. प्राकृतिक न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय को सुरक्षित करना या न्याय की विफलता को रोकने के लिए इसे नकारात्मक रूप से रखना है।ये नियम केवल उन क्षेत्रों में ही लागू हो सकते हैं जो किसी वैधानिक कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं। दूसरे शब्दों में, वे देश के विधि का स्थान नहीं लेते बल्कि उसे पूरक बनाते हैं। हाल के वर्षों में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा में बहुत बदलाव आया है। अतीत में यह माना जाता था कि इसमें केवल दो नियम शामिल हैं:

(1) कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होगा (नेमो डेबेट एसे जुडेक्स प्रोप्रिया कॉसा) और

(2) किसी पक्ष के विरुद्ध कोई निर्णय उसे उचित सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं दिया जाएगा (ऑडी अल्टरम पार्टम)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसके तुरंत बाद एक तीसरा नियम परिकल्पित किया गया और वह यह है कि अर्ध–न्यायिक जांच सद्भावनापूर्वक, बिना किसी पक्षपात के और मनमाने ढंग से या अनुचित तरीके से नहीं की जानी चाहिए।लेकिन समय के साथ प्राकृतिक न्याय के नियमों में कई और सहायक नियम जोड़े गए। हाल ही तक न्यायालयों की यह राय थी कि जब तक संबंधित प्राधिकारी को न्यायिक रूप से कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता, तब तक प्राकृतिक न्याय के नियमों के लागू होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब उस सीमा की वैधता पर सवाल उठाया जा रहा है। यदि प्राकृतिक न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय की विफलता को रोकना है, तो कोई यह नहीं समझ पाता कि उन नियमों को प्रशासनिक जांचों पर लागू क्यों नहीं किया जाना चाहिए।कई बार प्रशासनिक जांच और अर्ध–न्यायिक जांच के बीच अंतर करना आसान नहीं होता है। एक समय में जो जांच प्रशासनिक मानी जाती थी, अब उन्हें अर्ध–न्यायिक माना जा रहा है। न्यायोचित निर्णय पर पहुंचना अर्ध–न्यायिक जांच और प्रशासनिक जांच दोनों का उद्देश्य है। प्रशासनिक जांच में लिए गए अन्यायपूर्ण निर्णय का प्रभाव अर्ध–न्यायिक जांच के निर्णय से कहीं अधिक दूरगामी हो सकता है।जैसा कि इस न्यायालय ने सुरेश कोशी जॉर्ज बनाम केरल विश्वविद्यालय एवं अन्य में कहा है कि प्राकृतिक न्याय के नियम मूर्त नियम नहीं हैं। किसी प्रकरण में प्राकृतिक न्याय का कौन सा विशेष नियम लागू होना चाहिए, यह काफी हद तक उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, उस कानून के ढांचे जिसके तहत जांच की जाती है और न्यायाधिकरण या उस उद्देश्य के लिए नियुक्त व्यक्तियों के निकाय के गठन पर निर्भर करता है।जब भी किसी न्यायालय के समक्ष यह परिवाद किया जाता है कि प्राकृतिक न्याय के किसी सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है, तो न्यायालय को यह निर्णय करना होता है कि क्या उस मामले के तथ्यों पर न्यायोचित निर्णय के लिए उस नियम का पालन आवश्यक था।"

9. मुख्य विचार यह है कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा जांच अधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के संबंध में उठाया गया पहला तर्क, जिसने याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय जांच की सिफारिश की है, को जांच अधिकारी बनाया जा सकता है, इस सिद्धांत पर विचार किया जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रकरण का न्यायाधीश नहीं हो सकता है। यह सेवा न्यायशास्त्र का एक पवित्र सिद्धांत है।प्रकरण के उपरोक्त पहलू में, जब इस क्षेत्र में विधि को ध्यान में रखा जाता है, तो यह पाया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार–बार यह अभिनिर्धारित किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले का न्यायाधीश नहीं हो सकता है। वर्तमान प्रकरण में, चूंकि जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की है और इसकी सिफारिश की है, इसलिए उसे जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में आपत्ति जताई है, हालांकि, इस पर ध्यान नहीं दिया गया है।इस प्रकार, केवल इसी आधार पर विभागीय जांच दोषपूर्ण है और इस प्रकार याचिकाकर्ता को दंडित करते हुए कोई और आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

10. प्रकरण का दूसरा पहलू प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के संबंध में है। याचिकाकर्ता को साक्षीयों के माध्यम से अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया है जो विधि के अनुरूप भी नहीं है।जब कोई दण्ड आदेश पारित किया जाना हो, जिसका सिविल परिणाम हो, तो जिस सिद्धांत को ध्यान में रखना आवश्यक है, वह है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, अर्थात, ऑडी अल्टरम पार्टम।चूंकि आक्षेपित आदेश के तहत याचिकाकर्ता को संचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोके जाने के प्रमुख दंड से दंडित किया गया है और ऐसी परिस्थितियों में, अधिकारियों पर यह दायित्व है कि वे याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दें और उसे अपने साक्षियों के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए, जो वर्तमान प्रकरण में नहीं किया गया है और इसलिए, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किया गया आरोपित आदेश कानून के अनुसार नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।11. तदनुसार, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किया गया आक्षेपित आदेश पूर्णतः निरस्त किए जाने योग्य है और इसलिए दोनों आदेश निरस्त किए जाते हैं। याचिकाकर्ता को इस आदेश के परिणामस्वरूप सभी सेवा लाभ दिए जाएं।

12. उपर्युक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, रिट याचिका को अनुमति दी जाती है।

सही/–

(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur